

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

सु.नं० 67/15 तारीख 25.11.15

उपनाम - समथ सिंह बनाम भीम सिंह वगैरे
महमदपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रांथी की ओर से Adv० सुरेशचन्द्र शर्मा ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र व दस्तावेज जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपार्षागण को जरिये नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 24.11.15 को पेश हो।


उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

29.11.15
4.11.15

24/15 प्रांथी वकील उप०/अपार्षागण की ओर से श्री राम भदोली गुप्ता Adv० ने वकालतनामा पेश किया/ 8.0.15 अवकाश पत्र है वस्ति जब्त दि. 2.12.15 को पेश हो।

2/15 वकूलाय उपरिथत/पीठासन अधिकारी को अवकाश पा है। गताबुसार दिनांक 6.2.16 को पेश हो।

6/16 वकूलाय उप०/जबाब पेश करने लग्य चाह। दिनांक 4.2.16 को पेश हो।

2-16 वकूलाय उप०/जबाब पेश करने के लिए समय और पाठ दिया गया। वस्ति जबाब दिनांक 25.2.16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

फर्द अहकाम

दिनांक	
8-2-17	वकूलाय उप. / गतनुसार वास्ते बहस दि 9-3-17 को पेश हो
9-3-17	वकूलाय उप. / वास्ते बहस दि 3-4-17 को पेश हो
3-4-17	वकूलाय उप. / बहस हेतु दि 15-5-17 को पेश हो
15-5-17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत / न्याय आयोग के द्वारा कैम्प महमदपुर में दिनांक 19-5-17 को पेश हो
19-5-17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत / न्याय आयोग के द्वारा कैम्प महमदपुर में प्रस्तुत हुई पक्षकारों के परामर्श उपस्थित / इनके कथन सुने जाये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण से संबंधित मूल दावा तकासा एवं स्थायी निवेदाज्ञा का उत्तर किया गया है। विवादित आराजीपात गुम महमदपुर में सायलान एवं गैर सायलान सह स्वतःदा की मुताबिक जबकि विवादित आराजीपात से संबंधित अ) मुकदमा माननीय सिविल न्यायालय टोडाभी

क्रियानुसार

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

में विचाराधीन होकर बताया गया है। जिसमें दोनो पक्षों को लिडि एवं मोके की यथास्थिति ब्यौधे रखने के लिए पाबंद किया गया है उपस्थित पक्षकारों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है

लिहाजा इस शर्तना पत्र अस्था निवेधानामे वर्णित शाराजीपात खं. नं. 804/1980, 973

974	975	976	977	978	1475	कुल
0.03	0.06	0.05	0.08	0.07	0.87	
						कुल रकम 1.86 है

गुम महगदपु पा ता दावा फैसला लिडि एवं मोके की यथास्थिति ब्यौधे रखने के लिए उभय पक्षकारों को पाबंद किया जाता है पत्रावली फैसल शुमा हिका गम्हा से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे

